न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 59 सन 2016

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका नोहर तहसील नोहर
2. लालचन्द पुत्र बिरबल जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. साजन पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नाहेर।
2. लुणाराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. मिश्रीराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(फोत)
   3/1 अमरसिह 3/2 गोपीराम 3/3 भंवरीदेवी 3/4 मंजु 3/5 लिलावती 3/6 कलावती पुत्र/पुत्रीयान मिश्रीराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. नेतराम पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी हाल थालडका तहसील नोहर।
5. श्रवण पुत्र घोकलराम जाति भोपा निवासी हाल थालडका तहसील नोहर।
6. सूर्या पत्नी मनीराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. कृष्ण पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. प्रेम पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. रामा पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. चुसा पुत्री मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. सन्तो पुत्री मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. रधुवीर (फोत)
    13/1 किरण देवी पत्नी रधुवीर जाति रेगर निवासी जसाना हाल पल्लू 13/2 सुभाष 13/3 सपना 13/4. मनीष 135/5 सिकन्दर पि० रधुवीरसिह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता किरणदेवी पत्नी रधुवीर जाति रेगर निवासी पल्लु तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
13. गिरधारी पुत्र बृजलाल पुत्र बेगराराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. मेहरचन्द पुत्र बृजलाल पुत्र बेगराराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. भादर पुत्र बृजलाल पुत्र बेगराराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. पपूराम पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
17. महावरी पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
18. श्यामलाल पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
19. हरीराम पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
20. धर्मपाल पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
21. जोधाराम पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
22. बिरमाराम पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
23. बनवारी पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
24. पृथ्वी पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
25. श्योचंद पुत्र पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
26. सन्तराम पुत्र थानाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
27. ओमप्रकाश पुत्र थानाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
28. जगदीश पुत्र थानाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
29. रोहिताष पुत्र बिशनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
30. वेदप्रकाश पुत्र बिशनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

31. दलीप पुत्र बिशनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
32. अनुराम पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
33. सन्तुराम पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
34. कालूराम पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
35. महावीर पुत्र रामकुमार पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
36. विनोद पुत्र रामकुमार पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
37. साहबराम पुत्र रामकुमार पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
38. मनाराम पुत्र दाखा पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
39. भैराराम पुत्र पारी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
40. गोविन्दराम पुत्र पारी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
41. नानकराम पुत्र पारी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
42. सजना पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
43. रूडाराम पुत्र केसर पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
44. आदराम पुत्र केसर पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
45. किडुराम पुत्र अणजी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
46. ताजाराम पुत्र अणजी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
47. मूगाराम पुत्र अणजी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
48. भागीरथ पुत्र मोडी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हरिसिह सिहाग अधिवक्ता वादी
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता .1 ,2 ,4 ,5 7 ता 9
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25/6/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ननाउ के हाल खसरा न0 630 में 18.19 बीधा व खसरा न0 663 की 25.00 बीधा व खसरा न0 677 की 1.16 बीधा कुल 45.12 बीधा भूमि चिमना पुत्र गुला भोपा की खातेदारी भूमि थी यह चिमना वादी संख्या 1 का परपिता मह तथा वादी संख्या 2 का पितामाह था चिमना के कुल 12 वारिस थे जिसमें बेगाराम , बिरबल, चेतनराम , नत्थुराम , साजन व मनीराम कुल लडके तथा दाखा, माडी पारी केसर सजना व अणजी सहित कुल छ लडकिया थी चिमन के उक्त वारिसों में से साजन प्रतिवादी संख्या 1 व सजना व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 के अलावा सभी फोत हो चुके है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण दर्ज है इसप्रकार से चिमना की उक्त भूमि में उनकी मृत्यू के बाद में उसके सभी बारह वारिसान बहिब के हकदार हुए अर्थात प्रत्येक 1/12 हिसस भूमि के हकदार हुऐ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी।

चिमना की मृत्यू के बाद में अमलाऐं माल से साज बाज कर उक्त भूमि गैर कानुनी तरीके से उसकी दुसरी पत्नी सुगनी ने 1/4 हिस्सा व उसके पुत्रों सजना व मनीराम ने 1/2 हिस्सा तथा नत्थुराम के वारिसान ने 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाली तथा उसके बाद विभाजन करवाकर खसरों में तरमीम करवाकर खसरा न0 630/1 की 2.1620हैक व खसरा न0 663/2 की 1.6810हैक कुल 3.8430हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के पिता व पमि मनीराम ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवाली तथा खसरा न0 630/2 व 663/1 की कुल 3.8430हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 साजन ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा इसीप्रकार खसरा न0 630/3 व 663/3 तथा खसरा न0 677 की कुल 3.8430हैक भूमि नत्थुराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने नाम दर्ज करवाली है जो कतई

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गलत व पोसिदा तौर से दर्ज करवाई गई है क्योकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्स प प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/12 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 1 तथा उसके भाईयों तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 21 का 1/12 हिस्सा , तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 से 32 का 1/12 हिस्सा है इसी प्रकार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 33 से 38 का 1/12 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 का 1/12 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 40 से 42 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 का 1/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 44 ,45 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 46 से 48 का 1/12 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 49 का 1/12 हिस्सा है इसीप्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिये था इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है।

उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर मिश्री प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दिनांक 18.10.2023 को बैयनामा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवा दिया हे जबकि कानूनन मिश्री के हिस्सा में 1/36 हिस्सा यानी एक बीधा 5 बिश्वा भूमि ही आती है और उतनी ही भूमि का बेचान करने का अधिकारी था इसलिये यह बैयनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकुक के मुकाबले शुन्य है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कईबार कहा कि वो उक्त भूमि में वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा होना स्वीकार कर लेवे व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी को दुरूस्त करवाकर अपने नाम से दर्ज भूमि को कलमजन करवाकर चिमना के समस्त वारिसान के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा देवे तथा मिश्रीराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के हक में करवाया गया बेयनामा दिनांक 13.10.203 हक से अधिक भूमि का होने के कारण शुन्य मान लेवे लेकिन पहले तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 630/1–2–3 व खसरा न0 663/1–2–3 तथा खसरा न0 677 की कुल 45.12 बीधा भूमि में वादी सख्या 1 व तरतीबी प्रतिवागण संख्या 14 से 21 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 ता 32 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 का 1/12 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 33 से 38 का 1/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 40 से 42 का 1/12 हिस व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 44 , 45 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 49 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का नाम कलमजन कर वादीगा व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम उपरोक्तानुसार दर्ज करवा के आदेश फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान अपनी जात से ही शुन्य है तथा वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण के हकुक पर बेअसर है वाद भूमि उक्तानुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/6 ,6 ,10 ,11 ,12 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई शेष तरतीबी प्रतिवादी है जिनके विरूद्व रिलिफ नही होने के कारण तर्क किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2,4,5,7 ता 9 के अधिवक्ता ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा पेश किया की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है वाद वादीगण पोषणीय नही है

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज व बेगाराम का कभी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में वाद इश्तकरार हक मेन्टेबल नही है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण वल्दियत बेगाराम को उसके पिता चिमनाराम ने अलग 73 बीधा जमीन

से दे दी थी तथा चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई लडका नही था तथा ना ही बिरबल कभी ननाउ गांव रहा तथा ना ही उसका कोई मकान आदि ना ही बिरबल के वारिसान कभी गांव ननाउ में आबाद रहे ळै तथा ना ही उनका कोई मकान है तथा ना ही उनका कोई हक व हिस्सा है वादग्रस्त भूमि चिमना के पश्चात उसके तीन लडके मनीराम साजन व नत्थु के कब्जा काश्त में रही है तथा अब मनीराम व नत्थुराम के वारिसान साजन व नत्थु के कब्जा काश्त में रही है तथा नत्थु के वारिसान मिश्री को अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 रधुवीर को करवाया गया बेयनामा साधिकार है तथा वादीगण को दावा लाने की कोई कॉज आफॅ एक्शन हासिल नही है।

वादग्रस्त भूमि चिमना के बाद तीन पुत्रगण मीनराम व साजन व नत्थु राम के कब्जा काश्त में चली आई तथा मनीराम व नत्थुराम के फोत होने के पश्चात उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण बेगाराम के वारिसान को कोई हक व हिस्सा नही है तथा चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई पुत्र नही था तथा उसके वारिस वनकार उसके वारिसान का चिमनाराम के जीमन से कोई सरोकार नही तथा वादग्रस्त भूमि बाबत अपने जीवनकाल में ना तो बेगाराम व ना ही उसके लडके बृजलाल व पोकरचन्द ने अपने जीवनकाल में कभी कोई दावा किया है तथा अब तीसरी पीढी में औमप्रकाश ने कतई गलत आधारों पर दावा पेश किा है तथा बिरबलराम नाम का कोई बल्यकित चिमनाराम नही था तथा बिरबलराम नाम के व्यक्ति के वारिसान को दावा लाने की अधिकारिता नही है तथा वादीगण को दावा लाने का कोई वाद कारण वाद हेतु हासिल नही है तथा दावा कानुन के खिलाफ जाते हुए पेश किया है जो ना काबिले चलने है।

चिमना के पहली पत्नी से एक पुत्र बेगा व पहली पत्नी के देहान्त होनें पर दुसरी पत्नी सुगुनी से तीन पुत्र साजन, मनीराम, नत्थुराम थे और वही चिमना की 128 बीधा भूमि में प्रत्येक 1/5 हिस्सा के अनुसार भूमि प्राप्त करने के अधिकारी थे।

चिमना की मृत्यू के बाद उसकी 45.12 बीधा भूमि जो चिमनाराम के नाम दर्ज थी वह उसकी विधवा पत्नी सुगुनी व उसके पुत्र साजन, मनीराम व नत्थु के नाज दर्ज रही व शेष 72.08 बीधा भूमि जो चिमना के सयुक्त परिवार की हैसियत से बेगाराम के नाम दर्ज करवा रखी थी में भी चिमना के चार पुत्रों व उसकी विधवा पत्नी का 1/5 हिस्सा था जो कि बेगाराम का 1/5 हिस्सा के हिस्ज्ञ से 25.12 बीधा को छोडकर शेष भूमि उसके तीनों पुत्रों व उसकी विधवा पत्नी को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में बेगाराम व उसके वारिसान के नाम दर्ज है वादी संख्या 1 जो बेगाराम का पुत्र बृजलाल का पुत्र है ने वादी संख्या 2 व अन्य तरतीबी प्रतिवादीगण से साजिश वाद भूमि हडप करने के लिये वाद पेश किया गया है

चिमनाराम के बिरबल नाम को कोई पुत्र नही था तथा बिरबल को चिमनाराम का पुत्र बताकर किसी तथाकथित बिरबल के वारिसान बनकर दावा लाने का कतई मेन्टेबल नही है तथा उनके पास दावा लाने का कोई कॉज ऑफ एक्शन आरिज नही होता है तथा विधि द्वारा वर्जित है तथा बेगाराम तथा उसके परिवार के पास पहले से 73 बीधा जमीन जिसका चिमनाराम ने अर्जित कर दी थी जिसका बेगाराम व उसके पुत्र बृजलाल व पोकरचन्द स्वीकार करते आ रहे है तथा चिमनाराम की शेष भूमि चिमना के दुसरे पत्नी के लडके मनीराम व नत्थुराम , साजन की स्वीकार करते रहे है तथा तीसरी पीढी में लालचवंश झूठा वाद पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है वादीगण ने बेयनामा दिनांक 18.10.2023 जो प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवाया गया है अब उसके वारिसान के कब्जा काश्त में है तथा बैयनामा साधिकार है तथा उक्त बैयनामा खारिज करने का पेश किया गया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है।

दावा में बिरबलराम की वल्दीयत चेलेज किया गया है तथा बिरबलराम वारिसान को सिविल कोर्ट से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना दावा लाने का अधिकार नही है तथा बेगाराम के वारिसान के पास पले से 73 बीधा जमीन है जो चितना ने बेगारा के नाम करवाई थी तथा अब बेगाराम के वारिसान शेष चिमनाराम की भूमि के बाबत वाद लाने का

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कोई अधिकारिता नही है अतः वाद वादीगण चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण का जबाब दावा शामिल मिसल किया गया वादीगण के वाद प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई।

1. तनकी न0 1 आया कि क्या रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 630/1 ,2 ,3 व खसरा न0 663/1, 2 ,3 व खसरा न0 677 की कुल 45.02 बीधा भूमि चिमनाराम की होने के कारण इसमें चिमनाराम के वारीसान वादी सख्या 1 व तरतीबी प्रतिवागण संख्या 13 से 20 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 ता 31 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 32 से 37 का 1/12 हिस तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 38 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 से 41 का 1/12 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 42 का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 43 ,44 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 45 से 47 का 1/12 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 48 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का नाम कलमजन कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।?
2. तनकी न0 2 क्या प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक का प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष मे दिनांक 18.10.2000 को करवाया यगा बैयनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूक के मुकाबले बेअसर है।?
3. क्या प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है वादीगण
4. क्या चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई लडका नही है ओर उसके वारिसान का हक हिस्सा नही है? प्रतिवादी
5. क्या वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के खिलाफ मामला एस्टोपल आरीज है। प्रतिवादी
6. क्या दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है? प्रतिवादी

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों के साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में लालचन्द पुत्र बिरबल ,ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल, बिरमाराम पुत्र बिरबलराम मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किये पर जिरह प्रतिवादीगण /अधिवक्ता के द्वारा की गई साक्ष्यवादी और नही करवाने पर साक्ष्य बन्द किये जाकर साक्ष्य प्रतिवादी लिये गये साक्ष्य प्रतिवादी में मनुफल पुत्र चुन्नीराम , दीपाराम वल्द अन्नाराम , कृष्ण पुत्र मनीराम ने मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह वादीगण/अधिवक्ता के द्वारा की गई ओर साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के हाल खसरा न0 630 में 18.19 बीधा व खसरा न0 663 की 25.00 बीधा व खसरा न0 677 की 1.16 बीधा कुल 45.12 बीधा भूमि चिमना पुत्र गुला भोपा की खातेदारी भूमि थी यह चिमना वादी संख्या 1 का परपिता मह तथा वादी संख्या 2 का पितामाह था चिमना के कुल 12 वारिस थे जिसमें बेगाराम , बिरबल, चेतनराम , नत्थुराम , साजन व मनीराम कुल लडके तथा दाखा, माडी पारी केसर सजना व अणजी सहित कुल छ लडकिया थी चिमन के उक्त वारिसों में से साजन प्रतिवादी संख्या 1 व सजना व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 के अलावा सभी फोत हो चुके है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण दर्ज है इसप्रकार से चिमना की उक्त भूमि में उनकी मृत्यू के बाद में उसके सभी बारह वारिसान बहिब के हकदार हुए अर्थात प्रत्येक 1/12 हिसस भूमि के हकदार हुऐ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिये थी।

चिमना की मृत्यू के बाद में अमलाऐं माल से साज बाज कर उक्त भूमि गैर कानुनी तरीके से उसकी दुसरी पत्नी सुगनी ने 1/4 हिस्सा व उसके पुत्रों सजना व मनीराम ने 1/2 हिस्सा तथा नत्थुराम के वारिसान ने 1/4 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाली तथा उसके बाद विभाजन करवाकर खसरों में तरमीम करवाकर खसरा न0 630/1 की 2.1620हैक

व खसरा न0 663/2 की 1.6810हैक कुल 3.8430हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 के पिता व पमि मनीराम ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज करवाली तथा खसरा न0 630/2 व 663/1 की कुल 3.8430हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 साजन ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा इसीप्रकार खसरा न0 630/3 व 663/3 तथा खसरा न0 677 की कुल 3.8430हैक भूमि नत्थुराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 ने अपने नाम दर्ज करवाली है जो कतई गलत व पोसिदा तौर से दर्ज करवाई गई है क्योकि उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्स प प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/12 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 1 तथा उसके भाईयों तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 21 का 1/12 हिस्सा , तथा वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 से 32 का 1/12 हिस्सा है इसी प्रकार तरतीबी प्रतिवादी संख्या 33 से 38 का 1/12 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 का 1/12 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 40 से 42 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 का 1/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 44 ,45 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 46 से 48 का 1/12 हिस्सा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 49 का 1/12 हिस्सा है इसीप्रकार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाना चाहिये था इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण काश्त करते आ रहे है।

उक्त गलत इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर मिश्री प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दिनांक 18.10.2023 को बैयनामा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवा दिया हे जबकि कानूनन मिश्री के हिस्सा में 1/36 हिस्सा यानी एक बीधा 5 बिश्वा भूमि ही आती है और उतनी ही भूमि का बेचान करने का अधिकारी था इसलिये यह बैयनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकुक के मुकाबले शुन्य है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 630/1–2–3 व खसरा न0 663/1–2–3 तथा खसरा न0 677 की कुल 45.12 बीधा भूमि में वादी सख्या 1 व तरतीबी प्रतिवागण संख्या 14 से 21 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 22 ता 32 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 का 1/12 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 33 से 38 का 1/12 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 40 से 42 का 1/12 हिस व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 43 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 44 , 45 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 49 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का नाम कलमजन कर वादीगा व तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम उपरोक्तानुसार दर्ज करवा के आदेश फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान अपनी जात से ही शुन्य है तथा वादीगण तरतीबी प्रतिवादीगण के हकुक पर बेअसर है वाद भूमि उक्तानुसार वादीगण एव प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ,5 7 ता 9 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 ,2,4,5,7 ता 9 के अधिवक्ता ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा पेश किया की वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नही है वाद वादीगण पोषणीय नही है

वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण व उनके पूर्वज व बेगाराम का कभी कब्जा नही रहा है कब्जा के अभाव में वाद इश्तकरार हक मेन्टेबल नही है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण वल्दियत बेगाराम को उसके पिता चिमनाराम ने अलग 73 बीधा जमीन से दे दी थी तथा चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई लडका नही था तथा ना ही बिरबल कभी ननाउ गांव रहा तथा ना ही उसका कोई मकान आदि ना ही बिरबल के वारिसान कभी गांव ननाउ में आबाद रहे ळै तथा ना ही उनका कोई मकान है तथा ना ही उनका कोई हक व हिस्सा है वादग्रस्त भूमि चिमना के पश्चात उसके तीन लडके मनीराम साजन व नत्थु के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कब्जा काश्त में रही है तथा अब मनीराम व नत्थुराम के वारिसान साजन व नत्थु के कब्जा काश्त में रही है तथा नत्थु के वारिसान मिश्री को अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 रधुवीर को करवाया गया बेयनामा साधिकार है तथा वादीगण को दावा लाने की कोई कॉज आफॅ एक्शन हासिल नही है।

चिमना के पहली पत्नी से एक पुत्र बेगा व पहली पत्नी के देहान्त होने पर दुसरी पत्नी सुगुनी से तीन पुत्र साजन, मनीराम, नत्थुराम थे और वही चिमना की 128 बीधा भूमि में प्रत्येक 1/5 हिस्सा के अनुसार भूमि प्राप्त करने के अधिकारी थे।

चिमना की मृत्यू के बाद उसकी 45.12 बीधा भूमि जो चिमनाराम के नाम दर्ज थी वह उसकी विधवा पत्नी सुगुनी व उसके पुत्र साजन, मनीराम व नत्थु के नाज दर्ज रही व शेष 72.08 बीधा भूमि जो चिमना के सयुक्त परिवार की हैसियत से बेगाराम के नाम दर्ज करवा रखी थी में भी चिमना के चार पुत्रों व उसकी विधवा पत्नी का 1/5 हिस्सा था जो कि बेगाराम का 1/5 हिस्सा के हिस्ज्ञ से 25.12 बीधा को छोडकर शेष भूमि उसके तीनों पुत्रों व उसकी विधवा पत्नी को प्राप्त हुई थी जो वर्तमान में बेगाराम व उसके वारिसान के नाम दर्ज है वादी संख्या 1 जो बेगाराम का पुत्र बृजलाल का पुत्र है ने वादी संख्या 2 व अन्य तरतीबी प्रतिवादीगण से साजिश वाद भूमि हडप करने के लिये वाद पेश किया गया है

वादग्रस्त भूमि चिमना के बाद तीन पुत्रगण मीनराम व साजन व नत्थु राम के कब्जा काश्त में चली आई तथा मनीराम व नत्थुराम के फोत होने के पश्चात उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वे उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण बेगाराम के वारिसान को कोई हक व हिस्सा नही है तथा चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई पुत्र नही था तथा उसके वारिस वनकार उसके वारिसान का चिमनाराम के जीमन से कोई सरोकार नही तथा वादग्रस्त भूमि बाबत अपने जीवनकाल में ना तो बेगाराम व ना ही उसके लडके बृजलाल व पोकरचन्द ने अपने जीवनकाल में कभी कोई दावा किया है तथा अब तीसरी पीढी में औमप्रकाश ने कतई गलत आधारों पर दावा पेश किा है तथा बिरबलराम नाम का कोई बल्यकित चिमनाराम नही था तथा बिरबलराम नाम के व्यक्ति के वारिसान को दावा लाने की अधिकारिता नही है तथा वादीगण को दावा लाने का कोई वाद कारण वाद हेतु हासिल नही है तथा दावा कानुन के खिलाफ जाते हुए पेश किया है जो ना काबिले चलने है।

चिमनाराम के बिरबल नाम को कोई पुत्र नही था तथा बिरबल को चिमनाराम का पुत्र बताकर किसी तथाकथित बिरबल के वारिसान बनकर दावा लाने का कतई मेन्टेबल नही है तथा उनके पास दावा लाने का कोई कॉज ऑफ एक्शन आरिज नही होता है तथा विधि द्वारा वर्जित है तथा बेगाराम तथा उसके परिवार के पास पहले से 73 बीधा जमीन जिसका चिमनाराम ने अर्जित कर दी थी जिसका बेगाराम व उसके पुत्र बृजलाल व पोकरचन्द स्वीकार करते आ रहे है तथा चिमनाराम की शेष भूमि चिमना के दुसरे पत्नी के लडके मनीराम व नत्थुराम , साजन की स्वीकार करते रहे है तथा तीसरी पीढी में लालचवंश झूठा वाद पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है वादीगण ने बेयनामा दिनांक 18.10.2023 जो प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवाया गया है अब उसके वारिसान के कब्जा काश्त में है तथा बैयनामा साधिकार है तथा उक्त बैयनामा खारिज करने का पेश किया गया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है। ना ही वादीगण का वाद पोषणीय है वादीगण चिमनाराम के वारिस नही है वादीगण चिमनाराम की अर्जित भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्राावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है:-

1. <u>तनकी न0 1</u> तनकी न0 1 आया कि क्या रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 630/1 ,2 ,3 व खसरा न0 663/1, 2 ,3 व खसरा न0 677 की कुल 45.02 बीधा भूमि चिमनाराम की होने के कारण इसमें चिमनाराम के वारीसान वादी सख्या 1 व तरतीबी प्रतिवागण संख्या 13 से 20 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 21 ता 31 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 32 से 37 का 1/12 हिस तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 38 का 1/12 हिस्सा , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 39 से 41 का 1/12 हिस्सा , तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 42 का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 43 ,44 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 45 से 47 का 1/12 हिस्सा , तथा प्रतिवादी संख्या 48 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का नाम कलमजन कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।?

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने तनकी न0 1 के समर्थन में खतौनी बन्दोबस्त ग्राम ननाउ सम्वत 2029 से 2038 ईएक्सपी– 1 , नकल जमाबन्दी ग्राम ननाउ सम्वत 2041 ईएक्सपी– 2 , नकल जमाबन्दी ग्राम ननाउ सम्वत 2070–73 ईएक्सपी– 3 नकल बैयनामा दिनांक 18.10.2003 ईएक्सपी– 4 , नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ईएक्सपी–5 , नकल जमाबन्दी ग्राम ननाउ सम्वत 2010–13 इएक्सपी– 6 , नकल मिसल बन्दोबस्त 2029–38 इएक्सपी– 7 नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 38 इएक्सपी– 8 व मिलान क्षेत्रफल पेश किया जाकर निवेदन किया की वादभूमि चिमना वल्द गुला की खातेदारी भूमि थी चिमनाराम के 6 लडके व 6 लडकीया कुल 12 वारिस थे चिमनाराम के देहान्त होने पर चिमनाराम के वारिसान प्रत्येक 1/12 हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

प्रतिवादीगण का कथन है कि चिमनाराम की पहली पत्नी से एक पुत्र बेगा हुआ था पहली पत्नी के देहान्त होने पर दुसरी पत्नी सुगुनी से तीन पुत्र साजन , मनीराम व नत्थुराम थे जो चिमनाराम की 128 बीधा भूमि के हकदार थे अर्थात चिमनाराम के नाम दर्ज 128 बीधा भूमि में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है तथा वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है

वादीगण एव प्रतिवादीगण के कथन विरोधाभाषी है अर्थात एक दुसरे के विपरित है साथ ही वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की वादीगण के पूर्वज चिमनाराम के पुत्र थे मात्र कथन किया गया है जो प्रर्याप्त नही है।

यहॉ उल्लेखनिय है कि चिमनाराम के नाम दर्ज भूमि जो उसके वारिसान के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है के सम्बध में वाद तीन पीढीयों के वाद पेश किया गया है जो वादीगण के वाद पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है।

वादीगण का वाद चिमनाराम के वारिस होने पर आधारित है वादीगण अपने आप को चिमनाराम के वारिस मानते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 वादीगण को चिमनाराम का पुत्र /वारिस नही मानतें है हस्तगत वाद का मुख्य विवाद भी चिमनाराम के वारिस होने के सम्बध में तथा वादीगण ने चिमनाराम के वारिस होने के लिये ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया जिससे वादीगण को चिमनाराम का वारिस माना जा सकता है चिमनाराम के वारिस होने के सम्बध में चिमनाराम का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या सक्षम न्यायालय /कार्यालय से चिमनाराम के वारीस होने का साक्ष्य लिये जाकर ही वाद में वर्णित तथ्यो का निर्धारण किया जा सकता है अतः तनकी न0 1 वादीगण के द्वारा साबित नही कर सकने के कारण वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी न0 2</u> क्या प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम द्वारा अपने हक से अधिक का प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में दिनांक 18.10.2003 को करवाया गया बैयनामा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के हकूक के मुकाबले बेअसर है।?

तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था इस तनकी को साबित करने के लिये मात्र वादीगण का कथन है कि वह चिमनाराम का वारिस है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

और उसका चिमनाराम की भूमि में हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम ने अपने हको से अधिक भूमि का बैयनामा करवाया गया है

हस्तगत वाद में वादीगण के हक निर्धारित नही हुए है जब तक वादी के हकों का निर्धारण हो जाता तब तक प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम के द्वारा करवाये गये बैयनामा पर किसी प्रकार के कथन करने की स्थिति में नही है तनकी न0 1 में विवेचन किया जा चुका है वादीगण सक्षम न्यायालय/कार्यालय से चिमनाराम के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र /साक्ष्य प्राप्त करने पर ही चिमनाराम की भूमि/सम्पति पर अपने हकों की मांग कर सकत है तथा प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम के द्वारा जब बैयनामा करवाया गया था तब वह बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था बेयनामा एक रजिस्टर्ड दस्तावेजात है जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रभाव में रहेगा तब तक बैयनामा में अंकित भूमि पर वादीगण किसी प्रकार से हक प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादीगण प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवाया गया बेयनामा निरस्त करवाने के उपरान्त ही किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है तथा वादीगण जो चिमनाराम की तीसरी पीढी है ने हस्तगत वाद पेश किया गया है उससे पूर्व वादीगण के पूर्वजों ने चिमनाराम के वारिस होने के नाते किसी प्रकार की मांग नही करना सन्देह पेदा करता है

प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवाया गया बेयनाम वर्तमान में प्रभावी होने के कारण तनकी न0 2 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 3 क्या प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था तनकी न. 1 ,2 में साबित हो चुका है कि जब तक चिमनाराम के वारिस होने के सम्बध में वादीगण सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र /साक्ष्य प्राप्त नही कर लेते तब तक वह चिमनाराम की भूमि मे किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नही है तथा चिमनाराम से हकों की मांग भी तीसरी पिढी के द्वारा की जा रही है जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बिना किया जाना न्यायोचित नही है बिना उतराधिकार प्रमाण पत्र के वादीगण वाद भूमि मे किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है तनकी न0 3 भी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 4 चिमनाराम के बिरबल नाम को कोई लडका नही है और उसके वारिसान का हक हिस्सा नही है।

तनकी न0 5 क्या वादी व तरतीबी प्रतिादी के खिलाफ मामला एस्टोपल आरीज है

तनकी न0 6 क्या दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकारी का है।

उक्त तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था तनकी न0 1 ,2 ,3 के विवेचन में विवेचन किया गया है वादीगण का कथन है कि वह चिमनाराम के बिरबल पुत्र था तथा प्रतिवादीगण का कथन है कि चिमनाराम के बिरबल नाम का कोई पुत्र नही है वादीगण एव प्रतिवादीगण के कथन एक दुसरे के विरोध में होने के कारण सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र /साक्ष्य आदेश/निर्देश प्राप्त होने के बाद ही वादीगण एव प्रतिवादीगण के हकों का निर्धारण किया जा सकता है

वादीगण के द्वारा चिमनाराम के वारिस होने का कथन कर अपने हकों की मांग की गई है अर्थात तीसरी पीढी के द्वारा मांग की गई वादीगण के पिता ने चिमनाराम से अपने हकों की मांग नही करना भी वादी के वाद पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है।

चिमनाराम के नाम दर्ज भूमि जो वर्तमान में उसके वारिसान के नाम से बतौर दर्ज थी चिमनाराम के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 13 को जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 18.10.2003 बेचान किया गया है जब तक प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवाया गया बेयनामा निरस्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही हो जाता तब तक वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 13 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है बेयनामा निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है अर्थात वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तनकी न0 4 ,5 ,6 वादीगण के विरूद्व एव प्रतिवादी के पक्ष मे तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है कि वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज है तथा चिमनाराम के वारिस होने के कारण हक हिस्सा का निर्धारण सक्षम न्यायालय से चिमनाराम के उतराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त किया जा सकता है हस्तगत स्थिति में चिमनाराम के वारिस होने के नाते हको का निर्धारण किया जाना न्यायोचित नही है ना ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह साबित हो की चिमनाराम के जायज वारिसान वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण है अथवा नही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही हकों का निर्धारण किया जाना उचित है क्योकि वादीगण का वाद उत्तराधिकार पर ही आधारित है तथा तीसरी पीढी के द्वारा चिमनाराम की भूमि में अपने हकों की मांग की गई है जो सन्देहाशप्रद है।

प्रतिवादी संख्या 3 मिश्रीराम के द्वारा प्रतिवादी संख्या 13 के पक्ष में करवाया गया बैयनामा जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेजात है जब तक बेयनामा प्रभावी है तब तक वादीगण प्रतिवादी संख्या 13 के नाम दर्ज भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है

तनकीवार विवेचन वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/06/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बृजलाल जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. लालचन्द पुत्र बिरबल जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. साजन पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नाहेर।
2. लुणाराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. मिश्रीराम पुत्र नत्थुराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ(फोत)
   3/1 अमरसिह 3/2 गोपीराम 3/3 भंवरीदेवी 3/4 मंजु 3/5 लिलावती 3/6 कलावती पुत्र/पुत्रीयान मिश्रीराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल आबाद चक 6 डीडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. नेतराम पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी हाल थालडका तहसील नोहर।
5. श्रवण पुत्र धोकलराम जाति भोपा निवासी हाल थालडका तहसील नोहर।
6. सूर्या पत्नी मनीराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. कृष्ण पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. प्रेम पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. रामा पुत्र मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. चुसा पुत्री मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
11. सन्तो पुत्री मनीराम पुत्र चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
12. रधुवीर (फोत)
    13/1 किरण देवी पत्नी रधुवीर जाति रेगर निवासी जसाना हाल पल्लू 13/2 सुभाष 13/3 सपना 13/4. मनीष 135/5 सिकन्दर पि0 रधुवीरसिह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता किरणदेवी पत्नी रधुवीर जाति रेगर निवासी पल्लु तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
13. गिरधारी पुत्र बृजलाल पुत्र बेगराराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. मेहरचन्द पुत्र बृजलाल पुत्र बेगराराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. भादर पुत्र बृजलाल पुत्र बेगराराम जाति भोपा निवासी ननाउ हाल थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. पपूराम पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
17. महावरी पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
18. श्यामलाल पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
19. हरीराम पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
20. धर्मपाल पुत्र पाकरचन्द पुत्र बेगाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
21. जोधाराम पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
22. बिरमाराम पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
23. बनवारी पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
24. पृथ्वी पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
25. श्योचंद पुत्र पुत्र बिरबलराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
26. सन्तराम पुत्र थानाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
27. ओमप्रकाश पुत्र थानाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
28. जगदीश पुत्र थानाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
29. रोहिताष पुत्र बिशनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
30. वेदप्रकाश पुत्र बिशनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

31. दलीप पुत्र बिशनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
32. अनुराम पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
33. सन्तुराम पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
34. कालूराम पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
35. महावीर पुत्र रामकुमार पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
36. विनोद पुत्र रामकुमार पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
37. साहबराम पुत्र रामकुमार पुत्र चेतराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
38. मनाराम पुत्र दाखा पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
39. भैराराम पुत्र पारी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
40. गोविन्दराम पुत्र पारी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
41. नानकराम पुत्र पारी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
42. सजना पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
43. रूडाराम पुत्र केसर पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
44. आदराम पुत्र केसर पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
45. किडुराम पुत्र अणजी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
46. ताजाराम पुत्र अणजी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
47. मूगाराम पुत्र अणजी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।
48. भागीरथ पुत्र मोडी पुत्री चिमनाराम जाति भोपा निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 144 सन 2015 निर्णय दिनांक– 25/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एव अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)